सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली
अमृत एवं नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेस विज्ञप्ति

सीएसई एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की नई रिपोर्ट दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश अपने 59 शहरों में 62 मल गाद एवं सेप्टेज उपचार परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है।

आज यहां सीएसई, अमृत तथा नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के शहरों में स्वच्छता प्रबंधन पर एक रिपोर्ट जारी की गई।

सीएसई महानिदेशक सुनीता नारायण ने बताया कि गंगा तभी स्वच्छ हो सकती है जब शहर अपने निवासियों को सस्ती और प्रभावी सीवेज और सेप्टेज सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करें।

श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने "सेप्टेज प्रबंधन में आसानी" के आधार पर जिलों की रैंकिंग शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

लखनऊ, **29** जुलाई, **2022:** "उत्तर प्रदेश अपने शहरों में मल गाद और सेप्टेज प्रबंधन के बुनियादी ढांचे की नींव रखने में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमृत योजना के तहत सेप्टेज उपचार संयंत्रों के निर्माण में भारी निवेश किया गया| इस समय हाल ही मे निर्मित एवं निर्माणाधीन संयंत्रों की प्रगति का आकलन करना और यदि आवश्यक हो तो निर्माण में सुधार करना महत्वपूर्ण है|" - सुनीता नारायण, महानिदेशक, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली ने आज यहां एक कार्यशाला और बैठक में कहा।

बैठक का आयोजन सीएसई, उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के नगर विकास विभाग (डीओयूडी) और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बैठक में उत्तर प्रदेश में मल गाद एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) प्रणालियों की वर्तमान स्थिति, शहरी स्वच्छता के प्रबंधन में शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों और भविष्य के लिए एक प्रभावी रोडमैप क्या हो सकता

है, पर चर्चा की गई। इस अवसर पर "उत्तर प्रदेश में शहर स्तरीय समावेशी स्वच्छता के लिए सेप्टेज प्रबंधन" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

सुनीता नारायण के अलावा, बैठक में मुख्य वक्ताओं में श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार; नेहा शर्मा, निदेशक, नगर निकाय निदेशालय; पी के श्रीवास्तव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, अमृत; और दीपिंदर एस कपूर, कार्यक्रम निदेशक, जल और अपशिष्ट जल, सीएसई उपस्थित थे।

शहरी स्वच्छता प्रबंधन की चिंता को स्वच्छ गंगा से जोड़ते हुए, नारायण ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा: "हम अपनी नदियों को साफ करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, वे सभी सफल नहीं होंगे यदि हम सस्ती और प्रभावी सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित नहीं करते हैं - नमामि गंगे को इसकी बेहद जरूरत है।

उत्तर प्रदेश में शहरी स्वच्छता प्रबंधन में चुनौतियां

उत्तर प्रदेश के 75 प्रतिशत शहर और कस्बे पूरी तरह से सीवर रहित सफाई व्यवस्था पर निर्भर हैं। केवल 31 शहरों (राज्य के 734 में से) में आंशिक सीवरेज सिस्टम उपलब्ध हैं; 2021 में आयी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक रिपोर्ट में दर्शाया गया कि उत्तर प्रदेश में कुल उत्पन्न सीवेज का केवल 40 प्रतिशत ही उपचारित होता है।

दिपिंदर कपूर ने कहा, “फीकल स्लज और सेप्टेज का सतत और वैज्ञानिक प्रबंधन यूपी की प्राथमिकता है। सेप्टेज सिस्टम पर निर्भर लोग
ज्यादातर सबसे गरीब और हाशिए की आबादी का हिस्सा होते हैं जिससे सेप्टेज प्रबंधन सामाजिक समावेशी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, महिलाएं और अन्य वंचित वर्ग अक्सर खराब स्वच्छता से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक प्रभावी और किफायती सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली कई महत्वपूर्ण सामाजिक, पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम उत्पन्न करेगी।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, डीओयूडी, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर प्रशासन को प्रेरित करने के लिए "सेप्टेज प्रबंधन में आसानी" के आधार पर राज्य में जिलों की रैंकिंग की एक प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने शहरों में डीओयूडी द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भूमिका पर भी जोर दिया। “हम (विभाग) कल की तरह ही अच्छे हैं। हमारी भूमिका एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की है, और यदि हम उस सेवा को एक दिन भी नहीं करते हैं, तो हमें कार्य संतुष्टि नहीं होती हैं।

प्रमुख सचिव की बात का समर्थन करते हुए, डीओयूडी की निदेशक नेहा शर्मा ने स्थानीय नगर निकायों (यूएलबी) की प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और कहा: "यूएलबी को एफएसएसएम के प्लानिंग फेज से ही संपूर्ण ढांचागत विकास प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। उन्हें हर कदम पर शामिल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने म्युनिसिपल बाई लॉज़ (उप-नियम) की महत्वपूर्णता पर भी जोर दिया।

आज यहां जारी रिपोर्ट के अनुसार, जून 2022 तक, अमृत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) या स्वयं स्थानीय नगर निकायों द्वारा समर्थित, यूपी में 62 एफएसएसएम परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। ये 53 जिलों के 59 शहरों और कस्बों में फैले हुए हैं। कुल निवेश राशि 220 करोड़ रुपये है - इसमें से 190 करोड़ रुपये 40 मल गाद उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) के निर्माण के लिए और अन्य 30 करोड़ रुपये 22 सह-उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए खर्च होंगे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में यूपी के 11 शहरों में सेप्टेज उपचार संयंत्र सञ्चालन में है। इनमें 10 एफएसटीपी और एक सह-उपचार संयंत्र शामिल हैं। यूपी के सेप्टेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्मित और निर्माणाधीन क्षमता अब 2,075 किलोलीटर प्रति दिन (केएलडी) है।

नारायण ने यह भी बताया कि, स्वच्छता प्रबंधन के विषय में उत्तर प्रदेश तथा देश के कई अन्य हिस्सों में हम जो चुनौतियां खोज रहे हैं वह केवल तकनिकी एवं ढांचागत न होके शासन एवं प्रशासन सम्बन्धी भी है। हमें ढांचागत व्यवस्था को सतत बनाये रखने एवं प्रभावी उपचार के लिए उचित सञ्चालन एवं रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हैं।

सुझाव : उत्तर प्रदेश प्रभावी एफएसएसएम के लिए क्या कर सकता है -
सीएसई से कपूर ने कहा कि, सीएसई 2015 से सेप्टेज प्रबंधन में यूपी की पहल का समर्थन कर रहा है। आज हमने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें दिए गए सभी सुझाव राज्य में निर्मित एवं निर्माणाधीन सेप्टेज उपचार संयंत्रों के विस्तृत फील्ड आंकलन पर आधारित हैं।

रिपोर्ट निम्नलिखित सुझावों की अनुशंसा करती है -

- **लास्ट माइल भौतिक कनेक्टिविटी:** अधिकांश संयंत्र बनकर तैयार हो चुके हैं। गुणवत्ता नियंत्रण जांच के बाद अंतिम भुगतान समय पर जारी करना भी आवश्यक है। एफएसटीपी तक हर मौसम में डिस्लजिंग ट्रकों और टैंकरों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अच्छी सडकों का निर्माण भी आवश्यक है।

- **निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालन एवं रखरखाव (**O&M) **लागत वसूली:** यदि घरों से लिया जाने वाला शुल्क बहुत अधिक रखा जाता है तो एफएसटीपी की वित्तीय व्यवहार्यता एक चुनौती होगी - निविदा दस्तावेज के अनुसार, हर घर से **2,500** रुपये का डिस्लजिंग शुल्क लिया जाना है।
- **उपचार संयंत्र पर पर्याप्त मात्रा और स्लज की उपलब्धता:** ये प्रणालियां जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित हैं, और इसलिए डिजाइन के अनुसार और नियमित आवृत्ति में पर्याप्त मात्रा में स्लज होना जरूरी है। प्रत्येक कस्बे के लिए एक प्रभावी और किफायती डिस्लजिंग योजना की आवश्यकता है।
- **राज्य स्तर पर समर्पित सेप्टेज प्रबंधन प्रकोष्ठ/नोडल अधिकारी**: ऐसा प्रकोष्ठ/अधिकारी, जोकि आदर्श रूप से उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग (डीओयूडी) में पदस्थापित होगा, वह निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन, ओ एंड एम, नीति रोलआउट, योजना और निगरानी से संबंधित सभी कार्यों के समन्वय में मदद कर सकता है। यह यूपी के **734** शहरों में किए गए काम की स्थिरता और सेप्टेज प्रबंधन के प्रभावी उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- **नीति**, **क्षमता संवर्धन और व्यवहार परिवर्तन संचार को सक्षम करना:** राज्य और निकाय स्तर पर डिस्लजिंग उप-नियमों (बाई-लॉज़) की आवश्यकता है। इन उप-नियमों के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर सेप्टिक टैंकों की नियमित निकासी को बढ़ावा देने के साथ स्लज की खुले में डंपिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्षमता संवर्धन रणनीति में डिजाइनिंग, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम), एकीकृत अपशिष्ट जल एवं सेप्टेज प्रबंधन (एसबीएम **2.0** के अनुसार), और सामाजिक एवं सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन सहित वर्तमान कार्य प्राथमिकताओं को सम्मिलित करना चाहिए।

आज जारी हुई नई रिपोर्ट को अंग्रेजी और हिंदी में डाउनलोड करने के लिए, कृपया देखें -
www.cseindia.org

कार्यशाला की प्रस्तुतियों का विवरण कृपया यहाँ देखें -
https://www.cseindia.org/workshop-faecal-sludge-and-septage-management-fssm-in-uttar-pradesh-11361

अधिक जानकारी के लिए, कृपया सुपर्णो बनर्जी से संपर्क करें:
souparno@cseindia.org, 9910864339